BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, INDIRA BHAWAN, PATNA

Physical Possession of the land	:-	**Aurangabad Growth Center (Industrial Area)**
Name of Unit	:-	**M/s Hari Om Rice Mill**
Address of the Unit	:-	**Sri Shambhu Nath Pandey C/o – Sri Sukhdeo Pandey Near Area Maharajganj Road, Aurangabad Dist. Aurangabad**
Physical Possession Order No.	:-	**1452/D, Dated – 09.09.2005**
Area Handed Over	:-	**20,000 Sqt. (N.S.3, Block - 2)**
Area taken over	:-	**Area Handed over**
Sri Shambhu Nath Pandey M/s Hari Om Rice mill	:-	**In charge industrial Area, Aurangabad**

Shambhu Nath Pandey
14/9/05

15-9

Memo No. ..110/A......................./ Aurangabad, Dated ..15-9-05........

1. **Copy forwarded to Sri Shambhu Nath Pandey, M/s Hari Om Rice Mill Industrial Area growth center (Aurangabad) for information and necessary action.**
2. **Copy forwarded to Development officer, Bihar Industrial Develop Authority, Patna.**
3. **Copy forwarded to Chief Accounts officer, Bihar Industrial Develop Authority, Patna.**

15.9.05

Industrial Promotion officer

I/c Industrial Area Growth center
Aurangabad

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORTIY, UDYOG BHAWNA, PATNA-4

OFFICE ORDER

The following Industrial unit ~~xxxx~~ which have deposited first instalment/the cost of land/shed with cost of boundary pillars and have been allotted plot in Industrial Area indicated against their names isn columns-5. They are requested to contact Sri. D.Prasad ....Incharge of Groth Centre, Aurangabad ....Industrial Area/Estate on..................at site and take possession of the allotted plots/sheds. They are also requested to contact Exective Director of the Authority for the execution of lease deed.

Sl. no.	Name of the unit	End Product.	Area allotted in sq.ft.	Plot/shed no.
1	2	3	4	5
1.	M/s Hari Om Ricemill, Sri Shambhu Nath Pandey C/o Sri Sukhdeo Pandey Near Area Maharajganj Road, Aurangabad Dist. Aurangabad.	Rice Mill	20,000 Sq.ft.	N.S.-3 (Block-2)

Sd/-

DEVELOPMENTOFFICER.

TIWARI/

Memo No. 1452/1 /Patna, Dated 9-9-05

Copy forwarded to concerned units for information and necessary action.

Singh 5/9/05

DEVELOPMENT OFFICER.

Memo No.----------------/Patna, Dated---------------- 8/5/9

Copy forwarded to Sri...

Incharge of ....Industrial Area/Estate for information and necessary action. He is requested to get the area measured in presence of respersentative of the unit and boundary pillar fixed before handing over the physical possession of plot to the units. Complaince report shoud be sent by............

Encl:

DEVELOPMENT OFFICER.

નિ૦કો૦વિ૦ ૬/૬/૦૬

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , उद्योग भवन,पटना –4

पत्रांक – 1876/શ્રી. पटना, दिनांक – 28.9.04

प्रेषक,

श्री અરવિન્દ કુમાર સિંહ

विकास पदाधिकारी ।

सेवा में,

सर्व श्री હરિ ઓમ રાઇસ મિલ

શ્રી શંભુનાથ પાણ્ડેય, દ્વારા - શ્રી સુધાકર પાણ્ડેય

ન્યૂ એરિયા, મહારાજગંજ રોડ, ઔરંગાબાદ, જિ૦ ઔરંગાબાદ

विषय :– સર્વશ્રી હરિ ઓમ રાઇસ મિલ औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण में ગ્રોથ સેન્ટર, ઔરંગાબાદ को भूमि आवंटन

महाशय,

उपर्युक्त विषय आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.7.03 के संबंध में आपको सूचित करना है कि ગ્રોથ સેન્ટર, ઔરંગાબાદ औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण में सर्व श्री હરિ ઓમ રાઇસ મિલ मान्य वृहत / मध्यम / लघु इकाई जिसके आप स्वामी / भागीदार / प्र० नि० / कर्त्ता को ચાવલ મિલ का उद्योग की स्थापना के लिये 20,000 (બીસ હજાર) वर्गफीट / एकड़ भूमि 90 वर्षों के लिये पट्टे पर निम्नलिखित शर्तों पर आवंटित किया जाता है। इस शर्त का पूर्णतः पालन नहीं होने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. इकाई को 6,20,000 =00 (છ લાખ બીસ હજાર) रुपये .... प्रति एकड़ की तदर्थ दर से आवंटित होने का दाम

2,84,665=00 (दो लाख चौरासी हजार छः सौ पैंसठ) रू० एक मूस्त में भूमि मूल्य और इसके विकास खर्च के रूप में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा इस पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना होगा।

2. भूमि के मूल्य का अंतिम निर्धारण भूमि के विकास का वास्तविक खर्च मालूम होने पर भू– अर्जन की राशि में वृद्धी होने पर पुर्नवास में लागत होने पर एवं सरकार द्वारा भूमि के दान संबंधी अन्य बिन्दुओं पर नीति निर्धारण के फलस्वरूप किया जायेगा।

3. तदर्थ दाम तथा अंतिम रूप से निर्धारण दर में जो अन्तर होगा वह इस इकाई द्वारा देय होगा, जिसका भुगतान इकाई को प्राधिकार से सूचना प्राप्त होने के एक पखवारे के अन्दर करना होगा और इकाई को इस आशय का एकरारनामा लिख कर देना होगा।

4. यदि इकाई चाहे तो तो भूमि का उपर्युक्त मूल्य एक मुस्त में अथवा सूद सहित किस्तों में भुगतान कर सकता है। भूखण्ड पर स्वामित्व प्राप्त करने के पूर्व प्रारंभिक भुगतान (प्रथम किस्त) 30 प्रतिशत अर्थात 85,400=00 (पचासी हजार चार सौ) रूपये भुगतान किया जाना है। बाकी राशि का भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में किया जाना है। प्रत्येक किस्त 42,131=00 (बियालिस हजार एक सौ एकतीस) रूपये का होगा। द्वितीय किस्त आवंटन की तिथि से एक वर्ष के बाद अर्थात 28·10·05 को देय होगा। इसके बाद शेष किस्तों का भुगतान अगले वर्ष एवं माह की इसी तिथि को देय होगा।

5. निर्धारित समय में विधिवत किस्त भुगतान नहीं होने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा तत्कालीन बैंक सूद की दर जो भी अधिक होगा इकाई को दण्ड के सूद के रूप में देना होगा। बकाये की वसूली पब्लिक डिमांड के रूप में बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमांड रिकभरी एक्ट के अन्तर्गत की जा सकती है।

6. किस्तों पर भूमि लेने के लिये इकाई को लिखित रूप से एकरारनामा करना होगा। जबतक किस्तों का भुगतान इकाई द्वारा पूर्णतः नहीं हो जायेगा, भुमि प्राधिकार

के पास बंधक रहेगा।

7. भूमि के मूल्य के अतिरिक्त इकाई को प्रतिवर्ष 1000.00 (एक हजार रूपये) रूपये प्रति एकड़ की दर से अर्थात ......460-00 (चार सौ साठ)...... रूपये लगान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पहले प्राधिकार कार्यालय में जमा करना होगा । प्रत्येक 20 वर्ष पर इस लगान का पूर्नविलोकन किया जा सकता है।

8. इकाई को नियोजन तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण में कारखाना के क्षेत्र के स्थानिय जनता को प्राथमिकता देना होगा।

9. इकाई को वित्तिय सहायता, मशीन एवं उपक्रम तथा कच्चे माल को संतोषजनक व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण के सहित प्राधिकार को समर्पित करना होगा।

10. इकाई का भूमि का स्वामित्व लेने के लिये एक माह के अन्तर्गत प्राधिकार अथवा फैक्ट्री इन्सपैक्टर (कारखाना निरीक्षक) से कारखाने के कर्मशाला के नक्शों का अनुमोदन करा लेना होगा। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमोदन के अनियमित होगा।

11. वित्तिय संस्थान से ऋण लेने की सूचना प्राधिकार को दें तथा प्राधिकार द्वारा आवंटित भू–खण्ड एवं शेड मार्गेज करने के पहले प्राधिकार को इसकी सूचना दें।

12. बंध–पत्र / लीज डीड में इकाई द्वारा यह उल्लेख किया जाय कि इकाई द्वारा यदि प्राधिकार के भूमि को बंधक रखकर किसी वित्तिय संस्थान / बैंक से ऋण लिया जाता है तो इसकी सूचना प्राधिकार को देना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जायगा तो उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है।

13. इकाई बंध पत्र में यह उल्लेख करेगा कि अगर किसी कारणवश भविष्य में जमीन / शेड मूल्य की वृद्धी होगा तो उसका भुगतान इकाई करेगी।

14. इकाई को आवंटित भूमि का पट्टा एवं एकरारनामा पत्र विहित प्रपत्र में प्राधिकार से अनुमोदित करा कर लिखा देना होगा इसका निबंधन समुचित

पदाधिकारी के सम्मुख कराना होगा, जिसका खर्च इकाई स्वयं वहन करेगा।

15. यदि इकाई कोई कम्पनी है तो उसका निबंधन कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत बिहार में करा लेना आवश्यक है। यदि भूमि आवंटन के समय निबंधन नहीं कराया गया है तो इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो महीने के अन्दर निबंधन करा लेना आवश्यक है अन्यथा दो महीने की अवधि के बाद आवंटन रद्द समझा जायेगा।

16. भू–आवंटन आदेश निगर्त की तिथि से छः माह के अन्दर निमार्ण कार्य प्रारंभ करना होगा तथा दो वर्षों के अन्दर उत्पादन आरंभ करना होगा। इसका अनुपालन नहीं होने पर भू–आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा। यदि इकाई चाहे ता इसके विरूद्ध औद्यागिक विकास आयुक्त के यहाँ अपील दायर कर सकता है।

17. चहारदिवारी पीलर हेतु 200.00 रूपये मात्र अतिरिक्त देय होगा।

18. जमीन जिस स्थिति में है उसी में आवंटन की जायेगी और इसके विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. उद्यमी द्वारा आवासीय पता का प्रमाण–पत्र किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रनाण–पत्र देना होगा। दो पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटो प्रति, निबंधित साझेदारी दस्तावेज,साझेदारी एक्ट के अन्तर्गत फार्म ऑफ रजीस्ट्रार का प्रमाण–पत्र देना होगा।

2,112=00 पै०

20. मेंटेनेन्श चार्ज 4,600=00 ....रू. प्रति एकड़ की दर से देय होगा। साधारण शुल्क प्रतयेक वर्ष 31 मार्च के पूर्व भुगतान करना होगा अन्यथा सूद देय होगा।

21. आवंटन की तिथि से एक माह के अन्दर भूमि का प्रथम किस्त अथवा पुरा दाम जमा नहीं करने पर आवंटन आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

22. आवंटित भूमि ....वर्ग फीट प्लॉट नम्बर .... पर अगर कोई निमार्ण कार्य पूर्व से होगा तो उसका मूल्यांकित राशि जमा करना

होगा।

23. [illegible] के संदर्भ में बैंक का आश्वासन पत्र जमा करना होगा।

आपसे अनुरोध है कि आवंटन आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक पखवारे के भीतर आवंटन के शर्तों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से लिख कर दें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख करें कि भूमि नगद या किस्तों पर लेना चाहतें हैं । यदि एक माह के अन्दर इस संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त होगा तो आंवटन आदेश जबतक नवीकरण नहीं हो जाता है रद्द समझा जायेगा ।

पी. सी. सी. की बैठक दिनांक 14.7.04

निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 10.8.04

निर्णयानुसार

प्र0 नि0 का आदेश दिनांक ....

संचिका संख्या 20/पी.सी.सी./42 भ/04

विश्वासभाजन,

ह0/- 28/9/04

विकास पदाधिकारी

ज्ञापक — दिनांक —

प्रतिलिपि — मुख्य लेखा पदाधिकारी / क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण .... को सूचनार्थ प्रेषित ।

विकास पदाधिकारी

PH 19801 – 270209

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Email biada@rediffmail.com Website-www.biada.org.in Phone: 0612-3244029/3244045/3240771/3240769

पत्रांकः– 686 D / मुकदमा / 248 / बियाडा / 07 दिनांक :– 27/02/09

प्रेषक,

चन्द्र नाथ झा,
बि.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक
बियाडा, पटना।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
औरंगाबाद।

विषयः– **सर्वश्री हरि ओम राइस मिल, ग्रोथ सेन्टर, औरंगाबाद, को आवंटित 20,000 वर्गफीट भूमि का लीजडीड निबंधन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सर्वश्री हरि ओम राइस मिल, ग्रोथ सेन्टर, औरंगाबाद में चावल उद्योग की स्थापना हेतु, 90 वर्षो के लीज पर भूमि का आवंटन किया गया इस सूक्ष्म इकाई को आवंटित भूमि पर लीजडीड निबंधन हेतु दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुये नक्शा सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है। दस्तावेज को आपके समक्ष उपस्थापित करने हेतु श्री गिरीश राज ठाकुर, क्षेत्रीय प्रभारी, औरंगाबाद को निदेश दिया गया है जिनका हस्ताक्षर नीचे अभिप्रमाणित है।

इस इकाई के लीजडीड निबंधन हेतु बिहार सरकार के ज्ञापांक 102 दिनांक 16.01.2008 एवं ज्ञापांक 103 दिनांक 16.01.2008 में निहित प्रावधान के अनुसार कारवाई करने की कृपा की जाय।

गिरीश राज ठाकुर
अभिप्रमाणित 27/02/09

27.2.09

कार्यकारी निदेशक

विश्वासभाजन,

ह0 / –

कार्यकारी निदेशक, पटना।

ज्ञापांकः– 686 D दिनांकः– 27/02/09 Raju

प्रतिलिपिः– श्री गिरीश राज ठाकुर, क्षेत्रीय प्रभारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। लीजडीड दस्तावेज का निबंधन कराते हुए प्राधिकार के पक्ष में चिरकुट प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

ह0 / –

कार्यकारी निदशक, पटना।

ज्ञापांकः– 686 D दिनांकः– 27/02/09 Raju

प्रतिलिपिः– सर्वश्री हरि ओम राइस मिल के सत्त्वाधिकारी श्री शम्भु नाथ पाण्डेय, द्वारा– श्री सुबेदार पाण्डेय, न्यू एरिया, एम0 जी0 रोड, औरंगाबाद– 824121 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Deed No. 1424 Vol 18/09 Page 99/110

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

2516 · 50 -
2517 · 50 -
100

25.2.13

A 549102

Sanjay Kumar Gupta
Stamp Vendor
Aurangabad L.No. 2/8

FEE PAID

Fi (I) 20 = 00
Fi (II) 15 = 00
Fi (III) 90 = 00
G
GA 84 = 00

209 = 00

2/3

सच्ची प्रतिलिपि

वास्ते जिला निबंधक
औरंगाबाद

2-3-2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

2517. 50 25.2.13

A 549103

Sanjay Kumar Gupta
Stamp Vendor
Aurangabad L.No. 3/8